



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश: 1402

दिनांक:- 31/12/2021

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/- रु. के पे बैंड में 4800/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं:

क्रम सं. / वरि. सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्व/श्री	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/1898	श्रीमती त्रिप्लेंदर पाहवा धर्मपत्नी श्री के.आर. पाहवा	अधीक्षण अभियंता (आर्बिट्रेशन)
2/1899	धर्मेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री बिजेंद्र सिंह	उपाध्यक्ष कार्यालय
3/1900	परविन्दर कुमार भिदुड़ी सुपुत्र श्री जी.एस. भिदुड़ी	पी एम उदय
4/1904	राजेश कुमार यादव सुपुत्र श्री बाबू राम	अनधिकृत कॉलोनी कक्ष
5/1905	विमल किशोर लाकरा सुपुत्र श्री छतर सिंह	अराजपत्रित-II
6/1906-A	श्रीमती सपना रानी सैनी धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार सैनी	संस्थापना आवास
7/1907	श्रीमती नीलम राय सिंघानी धर्मपत्नी श्री अनिल कुमार सिंघानी	रोहिणी परियोजना खंड 13
8/1908	नगेन्द्र मंडल सुपुत्र श्री थागा मंडल	पी एम उदय
9/1909	वीरेन्द्र सिंह नेगी सुपुत्र श्री गोपाल सिंह नेगी	पश्चिमी खंड 9
10/1911	श्रीमती सुमन लता धर्मपत्नी श्री कर्मजीत सिंह	विधि विभाग
11/1913	धर्मेन्द्र सैनी सुपुत्र श्री तारा चंद	उद्यान खंड 6

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/- रु. के वेतनमान में 4800/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश की प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी के द्वारा उन्हें आगे की तैनाती / स्थानांतरण के लिए उप निदेशक (कार्मिक)-1 को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

(धर्मेन्द्र शर्मा)

उप निदेशक (गोपनीय)



सं.एफ.10(62)2020/सी.सी./ 944

दिनांक:- 31/12/2020

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष के विशेष कार्यकारी अधिकारी के निजी सचिव ।
2. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
3. प्रधान आयुक्त, (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
5. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता 1 एवं 2 / पी एम उदय / प्रणाली / अनधिकृत कॉलोनी कक्ष, दि.वि.प्रा. ।
6. उप मुख्य विधि अधिकारी (एडमिन), दि.वि.प्रा.।
7. अधीक्षण अभियंता (आर्बिट्रेशन), दि.वि.प्रा.।
8. अधिशाषी अभियंता, रोहिणी परियोजना खंड 13 / पश्चिमी खंड 9, दि.वि.प्रा. ।
9. उप निदेशक (कार्मिक)- 1 एवं 3 / सतर्कता(प्रशा.) / आरक्षण कक्ष / उद्यान खंड 6 / अनधिकृत कॉलोनी कक्ष / पी एम उदय, दि.वि.प्रा।
10. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us->Organisation->Personnel->Promotions 2021)
11. लेखाधिकारी (संस्था), राजपत्रित / अराजपत्रित-II / संस्थापना आवास / सम्बंधित (सी.ए.यू.), दि.वि.प्रा. ।
12. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.एम.आई.एस./ (गोपनीय कक्ष)-2, दि.वि.प्रा. ।
13. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
14. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

हरिश शर्मा

(हरिश शर्मा)

सहायक निदेशक (गोपनीय)